

प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: प0क0/एन.यू.एच.एम./एच.आर.-दिशा-निर्देश/2014-15/

दिनांक: 20 मई 2014

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा मानव संसाधन की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या: 7568-75 दिनांक: 27 मई 2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नये अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा मानव संसाधन की तैनाती के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भेजी गयी थी।

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: L-19012/1/2013-UH, Dated: 20.02.2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन के चयन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

कार्यालय के पत्र दिनांक: 27 मई 2014 द्वारा भेजी गयी दिशा-निर्देश के Terms of Reference for Human Resource at U-PHC में निम्नलिखित विन्दुओं के अनुसार ही संविदा मानव संसाधन की तैनाती की जानी है:-

1- Medical Officers

Eligibility:

- M.B.B.S degree
- Certified degree from recognized Institution by MCI
- Registration from Council of the State/GoI.

2- Staff Nurses:

Eligibility:

- Certified diploma in Nursing by any recognized Institute approved by Nursing Council of the State /GoI
- Registration from State Nursing Council.

3- Lab Technician

Eligibility:

- Certified diploma in Lab Technician by any recognized Institute approved by Lab Technician Council of the State /GoI
- Registration from State Lab Technician Council.

4- Pharmacist

Eligibility:

- Certified diploma in Pharmacy by any recognized Institute approved by Pharmacy Council of the State /GoI
- Registration from State Pharmacy Council.

5- ANMs

Eligibility:

- Certified diploma in Nursing/Midwife by any recognized Institute approved by Nursing/Midwife Council of the State /GoI
- Registration from State Nursing & /Midwife Council.

GmCU.H)

02/06/14

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक: 20 फरवरी 2014 द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन के चयन के संबंध में दिये गये निर्देश एवं Terms of Reference for Human Resource at U-PHC में दिये जा रहे निर्देशों का समुचित कड़ाई से नियमानुसार पालन किया जाये अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कैलाश कुशवाहा)

महानिदेशक
दिनांक: मई, 2014

पत्र संख्या: प0क0/एन.यू.एच.एम./एच.आर.-दिशा-निर्देश/2014-15/7859-9400
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

Ke
23/5/14

(कैलाश कुशवाहा)
महानिदेशक